कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा
वन भवन, स्थान+पो0+जिला – चतरा, झारखण्ड – 825401
Telefax – 06541-253690, Email – cf-chatra@gov.in

पत्रांक :– दिनांक :–

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषयः– **मेसर्स सी0सी0एल0 की आम्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु 120.61 हे0 (वनभूमि–103.26 हे0 एवं गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी–17.35 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/36506/2018) के संबंध में।**

प्रसंग– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का ज्ञापांक 443 दिनांक 24.04.2023 एवं आपका ज्ञापांक 1064 दिनांक 26.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के प्रसंग में सूचित करना है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के पत्रांक 1967 दिनांक 21.08.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सी0सी0एल0 के परियोजना पदाधिकारी आम्रपाली खुली खदान परियोजना, होन्हे, टण्डवा के पत्रांक PO(A)/Forest/2023-24/1102 दिनांक 16.08.2023 द्वारा विभागीय पत्रांक 3065 दिनांक 08.08.2023 के आलोक में विषयगत परियोजना से संबंधित वनाधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र तथा इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही स्टेज–1 स्वीकृति के शर्तो के अनुपालन प्रतिवेदन के साथ ही समर्पित कर दिये जाने की वचनबद्धता समर्पित की गई है।

अतः वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के उपरोक्त पत्र की प्रति तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की छः प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनुलग्नक–यथोक्त

आपका विश्वासी,
ह0/–
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

ज्ञापांक : 481 दिनांक : 26.08.2023

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची को उनके ज्ञापांक 443 दिनांक 24.04.2023 के प्रसंग में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

26/8/2023
वन संरक्षक
प्रादेशिक अंचल, चतरा।

कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।
वन भवन, चतरा— 825401 (झारखण्ड)
Ph & Fax (o) - 06541-298011 E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक 1967 दिनांक 21/08/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
चतरा।

विषयः— चतरा जिला अन्तर्गत सी0सी0एल0 द्वारा आम्रपाली रेलवे लाईन निर्माण हेतु 120.61 हे0 (वनभूमि— 103.26 हे0 एवं गैरमजरूआ जंगल—झाड़ी— 17.35 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

प्रसंग :— क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग का ज्ञापांक 1064 दिनांक 26.04.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग का पत्र संख्या— वनभूमि—07/2023—1192 दिनांक 31.03.2023 द्वारा विषयक परियोजना में अपयोजित होने वाले वनभूमि से संबंधित वनाधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण—पत्र एवं इस क्रम में हुई बैठक की कार्यवाही की प्रति प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्राप्त है। पुनः झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग का पत्र संख्या— वनभूमि—02/2022—3065 दिनांक 08.08.2023 के द्वारा वनाधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण—पत्र एवं इस क्रम में हुई बैठक की कार्यवाही की प्रति स्टेज—1 के बाद यानि स्टेज— II के पूर्व समर्पित करने हेतु निर्देश प्राप्त है जिसके आलोक में परियोजना पदाधिकारी, आम्रपाली खुली खदान परियोजना, होन्हे, टण्डवा ने अपने पत्रांक PO(A)/Forest/2023-24/1102 dt. 16.08.2023 द्वारा विषयगत परियोजना से संबंधित वनाधिकार अधिनियम, 2006 का प्रमाण—पत्र स्टेज—1 के अनुपालन के साथ समर्पित कर दी जाएगी के संबंध में वचनबद्धता प्रमाण—पत्र समर्पित की गई है।

अतः प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित वचनबद्धता प्रमाण—पत्र की सात प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अपने स्तर से अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0—यथोक्त—</u>

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल।
21/08/2023